

Sociology

D-II (H) Paper-III

What are the differences between

Caste & class

111

1

८ जाति और वर्ग में क्या अंतर है।

उत्तर:- जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप हैं दोनों ही मानव समूह हैं और दोनों में ही उच्च और निम्न का संस्तरण पाया जाता है जिस तरह एक जाति के सदस्य अन्तर विवाह के निषेधों का पालन करते हैं उसी तरह व्यावहारिक रूप से एक वर्ग के सदस्यों में भी वर्ग अन्तर विवाह की नीति अपनाई जाती है। मही कारण है कि कुछ विद्वानों ने और खासकर H.E. Miller ने जाति और वर्ग में कोई भी मौलिक भेद स्वीकार नहीं किया है किन्तु यह विचार उचित नहीं है। कुछ समानताओं के बावजूद भी दोनों एक-दूसरे से विभिन्न रूपों में विभक्त होते हैं। निम्नलिखित विवेचना से स्पष्ट हो सकता है।

(1) जाति की सदस्यता:- जन्म पर आधारित होती है। जबकि वर्ग की सदस्यता अन्तः कारकों पर आधारित होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति का सदस्य माना जाता है। अर्थात् जातीय सदस्यता जन्मरूपी कारक पर आधारित होती है। जबकि शिक्षा, संपत्ति, पेशा एवं धर्म आदि के आधार पर एक व्यक्ति वर्ग की सदस्यता प्राप्त करता है।

(2) जाति की सदस्यता प्रदत्त है जबकि वर्ग की सदस्यता अधिस्ति है। किसी व्यक्ति को जातीय सदस्यता अधिस्ति करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता जिस जाति में एक व्यक्ति का जन्म होता है उसे जाति की सदस्यता उसी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है।

इसके विपरीत वर्ग की सदस्यता स्वतः नहीं प्राप्त होती है। इसकी सदस्यता एक व्यक्ति अपनी क्षमता के आधार पर अर्जित करता है। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति विवाहक वर्ग का सदस्य है तो उसे उसकी सदस्यता अर्जित होती है।

(iii) जाति एक बंद समूह है जबकि वर्ग एक खुला समूह है। - एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है आजपिन उसी जाति का सदस्य बना रहता है। एक जाति की सदस्यता लाभ कर कुंवारी जाति का सदस्यता ग्रहण करना संभव नहीं है। G.D. Huxthorne ने भी बताया है कि जीवन की कोई भी सफलता या असफलता जाति की सदस्यता में परिवर्तन नहीं ला सकती है। अतः जाति को बंद समूह कहा जाता है। इसके विपरीत वर्ग की सदस्यता एक व्यक्तिगत क्षमता और भाग्यता पर आधारित होती है। अतः भाग्यता और क्षमता में परिवर्तन होने के कारण वर्ग की सदस्यता में भी परिवर्तन संभव है। अतः वर्ग एक खुला समूह है।

(iv) जाति अंतर्विवाही होती है लेकिन वर्ग नहीं :- इसका स्पष्ट मतलब है कि एक जाति के लोग जाति अंतर्विवाह के नियमों का पालन करते हैं। जाति अंतर्विवाह के नियम का अर्थ यह है कि एक जाति के विधवा का अर्थ यह है कि सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। यदि कोई व्यक्ति जाति से बाहर विवाह करता है तो उसे जाति, पंचायत द्वारा दण्ड दिया जाता है। G.D. Huxthorne, M.N. Srinivas, N.R. Narayana Murthy, Westergaard इत्यादि ने भी जाति को एक अंतर्विवाही समूह

कहा है, इसके विपरीत वर्ग में इस प्रकार का कोई निश्चित नियम नहीं होता मरवि एक वर्ग के सदस्य भी अपनी ही वर्ग में विवाह करना पसंद करते हैं परंतु जाति के समान वर्ग में वैवाहिक सम्बन्धता नहीं रहती है एक व्यक्ति अपनी वर्ग के अलावे दूसरे वर्ग में भी शादी रचा सकता है उदाहरणस्वरूप परमेश्वर महाराज अपनी वर्ग के छोड़ कर भी निम्न वर्ग में शादी करना उचित समझते थे तथा उन्होंने किया भी था

(२) जातियों के व्यवसाय निश्चित हैं वर्गों के नहीं जिस किसी भी समाज शास्त्री या सामाजिक चिन्तक ने जाति को जोरगणित किया है उन सभी ने यह विचार प्रकट किया है कि प्रत्येक जाति का एक परम्परागत व्यवसाय होता है और एक ही जाति के सदस्य के लिए अपनी प्रगति के व्यवसाय का पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि, बड़, हजाम, इत्यादि नाम अनेक व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं तथा वेन के व्यवसाय परंपरागत व्यवसाय होता है और एक जाति के सदस्य के लिए अपनी प्रगति के सुचक है इसके विपरीत एक वर्ग के सदस्य के लिए कोई परंपरागत व्यवसाय नहीं होता है वे अपनी योग्यता क्षमता तथा क्षमिकता के आधार पर सेवा का चयन कर सकते हैं।

(३) जाति में खान-पान सम्बन्धी तत्त्व निश्चित होते हैं, जबकि वर्ग में नहीं। जाति में खान-पान सर्वोच्च कठोर नियम होता है जबकि वर्ग में नहीं प्रत्येक जाति के सदस्यों को खान-पान से संबंधित नियमों का पालन करना पड़ता है ज.३ ग्रन्थ के अनुसार शायद जाति के सदस्यों के हाथ से उन और जल ग्रहण नहीं करते हैं कच्चा भोजन के संबंध में प्रतिबंध अधिक कठोर है परंतु इसके

विपरीत वर्ग में खान-पान से संबंधित परिवर्धन अधिक कहीं नहीं होते हैं एक वर्ग का सदस्य दूसरे वर्ग के सदस्य के हाथ से उन जल ग्रहण करता है।

(जा) जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थित है:- चूंकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित है और इसमें प्रायः परिवर्तन नहीं होता अतः जाति व्यवस्था एक स्थित व्यवस्था है इसके विपरीत वर्ग व्यवस्था समाज की सामाजिक राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सामंत आदिवास, किसान, प्रजापति एवं प्रामिक आदि के रूप में समग्र-समग्र पर अनेक वर्ग मिलते और उभरते रहते हैं।

(ग) वर्ग की अपेक्षा जाति में सामाजिक भेदभाव, दुरी और छुआ-छुत अधिक पाया जाता है:- इसका मतलब कि एक जाति की तरह वर्ग के सदस्यों में भी सामाजिक दुरी पायी जाती है परन्तु उतनी अधिक नहीं जितनी कि जाति के सदस्यों में इसी तरह एक जाति के सदस्यों में जितनी छुआ-छुत की भावना पायी जाती है उतना छुआ-छुत का भेदभाव वर्ग के सदस्य नहीं करते हैं एक उच्च जाति के सदस्य अतः निम्न कही जाने वाली जाति की हाथ से भी दूर रहना चाहते हैं इस संबंध में G. H. P. ने लिखा है कि जब एक सामाजिक डॉक्टर एक अस्पृश्य की नज़र पकड़ता है तब उसका नज़र आ कलाई को बेरामी वस्त्र से ढक देता है ताकि प्रत्यक्ष रूप से उसके चर्म का स्पर्श कर अपवित्र न बन जाए इसके विपरीत वर्ग के सदस्य छुआ-छुत के भेदभाव का उतनी कड़ाकाई से पालन नहीं करते हैं।

5

તથા એક બીજી વ્યક્તિ નિર્ણય તર્જ કે વ્યક્તિ સૌ
કામો સૌ ધુર નહીં રહના ન્વાહતા હો.

S.N.Choudhary
I
F.N.M.U